श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय
(स्वशासी समिति), रीवा म0प्र0

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा संबंद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय मे रेडियोथेरेपी विभाग हेतु कोबाल्ट टैलीथैरेपी मशीन एवं गामा मेड (एच.डी.आर.) ब्रेकीथेरेपी मशीन को आउट सोर्स माध्यम से संचालित करने हेतु द्वितीय निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म एवं शर्ते
वर्ष 2014—15

कीमत रू. 5000/—
(रूपये पॉच हजार मात्र)
(अवापसी योग्य)

<u>प्रमुख तिथियॉ :—</u>
निविदा प्राप्त करने की तिथि :—
भरी हुई निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि :—
तकनिकी बिड खुलने की तिथि :—

<u>रेडियोथेरेपी विभाग मे स्थापित मशीनों को आउट सोर्स करने हेतु निविदा प्रक्रिया</u>

क्रमांक /क्रय/एम.सी./2014 रीवा दिनांक

लिफाफा क्रमांक :– ए
(प्री क्वालीफिकेशन बिड)

1. सुरक्षा निधि स्वरूप अमानती राशि रूपये 5.00 लाख (रू. पॉच लाख) मात्र का एकाउण्ड पेयी बैंक ड्राफट जो कि अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा के नाम से देय होगा, जिसकी वैधता जारी करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये होगी एवं यह वापसी योग्य होगी।

2. आवेदन पत्र।

3. घोषण पत्र।

4. नोटरीकृत हलफनामा।

5. निविदा फार्म हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित (निविदा फार्म के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर हो)।

6. वित्तीय स्थिति अच्छी है इसका प्रमाण पत्र।

7. वर्तमान वर्ष के पूर्व वर्ष का आयकर एवं वाणिजिक कर प्रमाण पत्र। यदि कोई अन्य प्रमाण पत्र हो जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो संलग्न करें।

8. फर्म/कम्पनी का पंजीयन प्रमाण पत्र।

9. विगत तीन वर्षो की फर्म/कम्पनी की बैलेन्स सीट जो कि किसी सी.ए. द्वारा जारी की गई हो।

10. पेन कार्ड एवं वाणिजिक कर कार्ड की छायाप्रति।

11. कहीं आपको ब्लैक लिस्ट नही किया गया है इस आशय का नोटरीकृत हलफनामा।

नोट :– निविदाकार द्वारा लिफाफा क्रमांक –ए मे दिये गये प्रपत्रों को सरल क्रमांक के अनुसार विधिवत टैगिंग्ग करना अनिवार्य होगा।

लिफाफा क्रमांक :– बी
(टेक्नीकल बिड)
निविदाकार का नाम :–

क्र.	तकनीकी मापदण्ड	हॉ	नहीं	रिमार्क
1.	निम्न लिखित मशीनें आउट सोर्स करना है :– . Cobalt Teletherapy (Theratron 780- E) Sr. No. 659. - Brachytherapy (Gamma Mod Plus HDR) Sr. No. A-037. - Treatment Planing System (Theraplan Plus 2000). - Brachtherapy Operating Table. - All Types of Dosimeters. - Accessories of both machines.			
2.	सभी मशीनें जिस स्थित मे फर्म/कम्पनी को दी जावेगी एवं फर्म/कम्पनी को स्वयं के व्यय पर संबंधित सप्लायर कम्पनी से मरम्मत कराना होगा।			
3.	कोबाल्ट मशीन मे नया रेडियेशन सोर्स एवं ब्रेकीथेरेपी मशीन मे Ir 192 (Iridium 192) के नये सोर्सेस् समय–समय पर स्वयं के व्यय पर लगवाने होगे एवं ब्रेकीथेरेपी मशीन हेतु 19 रेडियेशन सोर्स को भुगतान 10 वर्ष पूर्व किया गया था। जिसका निर्णय शासन स्तर पर लिया जावेगा तथा जो भी धनराशि बचे हुये सोर्सेस की बकाया होगी वह निविदाकर्त्ता को शासकीय नियमानुसार वह राशि शासकीय खजाने मे समय–समय पर जमा करनी पडेगी। यह विषय शासन स्तर पर निर्णय के बाद ही निराकृत किया जा सकेगा।			
4.	दोनों मशीनें डोजीमीटर्स एवं ट्रीटमेन्ट प्लानिंग सिस्टम को मरम्मत पश्चात् चालू करवाने हेतु भाभा अनुसंधान केन्द्र (B.A.R.C./ B.R.I.T./ A.E.R.B.) मुम्बई से अनुमति प्राप्त करना होगा और (B.A.R.C./B.R.I.T./A.E.R.B.)अनुसार समय–समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही मशीनों का संचालन करना होगा।			
5.	बिन्दु क्र. एक मे वर्णित सभी मशीनों/उपकरणों की ए.एम.सी. निविदाकर्त्ता को ही स्वयं के व्यय पर करना होगा।			
6.	मशीनों को सात वर्षो तक चलाने का अनुबन्ध करना होगा एवं स्पेयर पार्ट भी स्वयं के व्यय पर खरीदना होगा।			
7.	मशीनों के सुचारू संचालन हेतु रेडियोथेरेपिस्ट, फिजिसिस्ट,			

	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन B.A.R.C./ A.E.R.B. द्वारा निर्धारित डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव के होना चाहिये। जिससे B.A.R.C./ A.E.R.B. से मशीनों को चलाने की अनुमति मिल सकें।			
8.	चिकित्सकीय स्टाफ एवं तकनीकी विशेषज्ञ, फिजिस्ट, नर्सिग स्टाफ, लिपिकीय स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी स्टाफ, सुरक्षा कर्मी एवं वार्ड के समस्त रख–रखाव पलंग, चद्दर, कुर्सी, टेबल व किचन की व्यवस्था कैंसर मरीजों इत्यादि की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।			
9.	सभी स्टाफ का वेतन पी.पी.एफ. एवं नियोक्ता के सभी नियमों का पालन निविदाकर्त्ता द्वारा प्रदाय किया जावेगा।			
10.	यदि कोई टेक्नीशियन स्टाफ नौकरी छोडकर जाता है तो नई भर्ती निविदाकर्त्ता को शीघ्र ही करना होगी ताकि मशीनों का संचालन एवं मरीजों का उपचार जारी रह सके तथा किसी भी उनके द्वारा रखे गये कर्मचारी की दुर्घटना बिमारी मृत्यु इत्यादि समस्त दावे निविदाकर्त्ता के द्वारा ही निराकृत किये जावेगें।			
11.	रेडियोथेरेपी यूनिट एवं वार्ड की साफ–सफाई, साज–सज्जा इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्त्ता की होगी तथा रेडियेशन संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदाकर्त्ता की होगी।			

नोट :– निविदाकार द्वारा लिफाफा क्रमांक –बी मे दिये गये प्रपत्रों को सरल क्रमांक के अनुसार विधिवत टैगिंग्ग करना अनिवार्य होगा।

लिफाफा क्रमांक :– सी
(प्राइस बिड)

क्रमांक	तकनीकी मापदण्ड के अनुसार दर	हॉ	नहीं	दर अंकित करें
1.	प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित बी.पी.एल., दीनदयाल अन्तयोदय योजना के गरीब मरीजों, मुख्यमंत्री मजदूर योजना एवं सेवानिवृत्त म0प्र0 शासकीय सेवकों का रेडिऐशन उपचार– 1. कोबाल्ट मशीन द्वारा, 2. ब्रेकीथेरेपी मशीन द्वारा, निशुल्क करना होगा।			
2.	प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित बी.पी.एल., मुख्यमंत्री मजदूर योजना, सेवा निवृत्त म0प्र0 शासकीय कर्मचारी एवं दीनदयाल अन्तयोदय योजना के गरीब मरीजों को कैंसर रौधी दवाईयॉ संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जावेगी, किन्तु कैंसर रौधी दवाईयों को लगाने का कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा। संबंधित रिकार्ड अधीक्षक द्वारा पदस्थ शासकीय स्टाफ नर्स द्वारा किया जावेगा।			
3.	बी.पी.एल. एवं दीनदयाल अन्तयोदय योजना के गरीब मरीजों को रेडियोथेरेपी वार्ड मे भर्ती करने का एवं अन्य दवाईयॉ का कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा। दवाईयॉ अधीक्षक के द्वारा प्रदाय की जावेगी।			
4.	अन्य मरीजों (ए.पी.एल.) को कोबाल्ट मशीन पर रेडिऐशन उपचार हेतु न्यूनतम रूपये 10,000/– या ज्यादा रेडिऐशन एक्सपोजर होने पर रूपये 15,000/– तीस सिटिंग का शुल्क होगा। प्राइवेट रूम एवं व्ही.आई.पी. रूमों की चिकित्सकीय शुल्क व अन्य शुल्क निविदाकर्त्ता के द्वारा निश्चित किया जावेगा।			
5.	अन्य मरीजों (ए.पी.एल.) से ब्रेकीथेरेपी रेडिऐशन उपचार का न्यूनतम शुल्क रूपये 5,000/– प्रति एक्सपोजर/प्रति बार लिया जावेगा।			
6.	अन्य मरीजों (ए.पी.एल.) से रेडिऐशन के साथ किमोथेरेपी लगाने के लिये निःशुल्क एवं वार्ड शुल्क रूपये 400/– प्रति दिन लिया जावेगा और कैंसर रौधी दवाईयॉ मरीजों को चिकित्सालय मे उपलब्ध न होने की स्थिति मे स्वयं के व्यय पर खरीदनी			

	होगी।			
7.	बैक्रीथैरेपी इलाज के लिये आपरेशन थिरेटर की साज–सज्जा निविदाकर्त्ता को स्वयं करनी होगी एवं आवश्यक दवाओं, उपकरण की व्यवस्था भी करनी होगी। चिकित्सको को इस कार्य हेतु बुलायें जाने पर प्रतिकेश निश्चेतना एवं सर्जन का मानदेय राशि रू. 1000/– एकाउण्ट पेयी चैक के द्वारा निविदाकर्त्ता के द्वारा दिया जावेगा। इस हेतु विभागाध्यक्ष सर्जरी एवं एनेस्थिसिया विभाग द्वारा प्रत्येक तीन माह का रोस्टर बना कर निविदाकर्त्ता को देना होगा तथा रेडियेशन प्रोटेक्शन किट निविदाकर्त्ता के द्वारा उपलब्ध कराना होगा।			

लिफाफा क्रमांक :– डी – लिफाफा डी मे लिफाफे ए, बी, एवं सी रखकर चपडी लगाकर सील कर नियत दिनांक एवं समय के पूर्व अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा के कार्यालय मे जमा करना होगा।

कार्यालय मे जमा करने की अन्तिम तिथि :–

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,
रीवा (म0प्र0)

विषय :– रेडियोथेरेपी विभाग मे दस वर्ष पूर्व स्थापित कोबाल्ट टेलीथेरेपी मशीन ;जेमतंजतवद780.म्द्ध एवं गामा मेड एच.डी.आर मशीन ब्रेकीथेरेपी मशीनों को आउट सोर्स करने हेतु निविदा फार्म श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा करने बाबत्।

–––0–––

आपके द्वारा जारी किया गया निविदा क्रमांक ....दिनांक ....के पालन मे हम (फर्म का नाम ....) आपके चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय मे स्थापित रेडिऐशन मशीनें कोबाल्ट टे्लीथेरेपी थेराट्रान 780–ई एवं ब्रेकीथेरेपी मशीन गामा मेड एच.डी.आर के संचालन हेतु निविदा फार्म मे सभी शर्तो के साथ जमा कर रहा हूॅ। मैने/हमने सभी शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ एवं समझ लिया है। यदि मेरी बिड आपके द्वारा स्वीकार की जाती है तो आपके द्वारा की गई एप्रूव दर पर अनुबंध करूॅगा एवं भविष्य मे भी आपके द्वारा दी गई शर्तो को मान्य करूॅगा।

आपका शुभेच्छु

नामांकित हस्ताक्षरी
(फर्म का पूरा नाम, हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम एवं पद, सील सहित)

दिनांक		फोन न.		फैक्स न.	
स्थान		मोबाइल न.		ई–मेल आई.डी.	

(इस पत्र को फर्म/कम्पनी अपने अधिकृत लेटर पैड पर ही देवें)

घोषणा पत्र

मै .... पद .... कम्पनी/फर्म का नाम .... कम्पनी/फर्म का नामांकित हस्ताक्षरी होने के कारण शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैने निविदा की सभी शर्ते पढ एवं समझ ली है जो कि आउट सोर्सिग के माध्यम से कोबाल्ट टेलीथेरेपी मशीन, गामा मेड एच.डी. आर ब्रेकीथेरेपी मशीन, ट्रीटमेन्ट प्लानिंग सिस्टम – थेराप्लान 2000, ब्रेकीथेरेपी ऑपरेटिंग टेबल सभी प्रकार के डोजी मीटर एवं एक्सेसीरीज जो की श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मे दस वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी, के सुचारू संचालन हेतु मजूंर करता हूँ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पद ....
कार्यालय का पता ....
(कार्यालयीन सील)

हलफनामा का नमूना
नॉन जूडिसीयल स्टाम्प(नोटरीकृत)

मै ....पद ....
फर्म/कम्पनी .... निवास का पूर्ण पता ....
.... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि –

1. मेरी कम्पनी/फर्म .... देश/विदेश के किसी भी हिस्से मे कभी भी ब्लैकलिस्टेड नही हुई है।

2. इस वित्तीय वर्ष मे मैने अन्यत्र कहीं भी शासकीय/अर्ध शासकीय अथवा प्राइवेट संस्थान मे इससे कम दर अंकित नहीं की है।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पद ....
कार्यालयीन पता एवं सील ....

गवाहों के हस्ताक्षर –

1. हस्ताक्षर ....
2. नाम/पिता का नाम ....
....
3. पूरा पता ....
....

1. हस्ताक्षर ....
2. नाम/पिता का नाम ....
....
3. पूरा पता ....
....

निविदा जमा करने हेतु नियम एवं शर्ते

1. निविदा फार्म श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा म0प्र0 मे रू. 5000/— (पॉच हजार) मात्र का डी.डी. जमा करने पर किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय मे दिनांक ....से ....तक प्राप्त किये जा सकते है। डी.डी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा म0प्र0 के नाम रेखाकिंत कर देय होगा जो की वापसी योग्य नहीं होगा।
2. सभी तरह से पूर्ण भरा हुआ निविदा फार्म श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मे सायं 4.00 बजे तक निर्धारित तिथि एवं कार्यालयीन दिवस मे प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा पर विचार नही किया जावेगा एवं किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी उक्त कम्पनी/फर्म की होगी।
3. कृपया प्रत्येक लिफाफे को पूर्ण रूप से चपडे वाली सील से ही सील कर बंद करें।
4. एक बार जमा करने पर निविदा फार्म वापस नही किया जावेगा। यदि किसी कारण वश निविदाकर्त्ता निविदा मे भाग नही लेता है तो धरोहर राशि राजसात की जावेगी एवं वापस नही की जावेगी।
5. अपूर्ण फार्म को नही शामिल किया जावेगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी/फर्म की होगी। इस बाबत किसी भी प्रकार का पत्राचार भी नही किया जावेगा।
6. निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा तीन अलग—अलग लिफाफे ए, बी एवं सी को लिफाफे डी मे रखें। लिफाफा ए पर प्री क्वालीफिकेशन बिड अंकित करे, लिफाफा बी मे तकनीकी बिड अंकित करे एवं लिफाफा सी मे प्राइस बिड अंकित करे एवं तीनों लिफाफों को चपडे की सील से सील कर लिफाफा डी मे रखकर पुनः चपडे की सील से सील करें। यदि लिफाफा मुडा होने पर सील टूट जाती है तो यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।

निविदा को खोलना :—

1. **निविदा फार्म निम्नानुसार खोला जावेगा —**

(ए) **लिफाफा डी एवं लिफाफा ए खोलने की** तिथि लिफाफा डी अधिष्ठाता कार्यालय के कान्फ्रेस हाल मे दिनांक .... को दोपहर 12.00 बजे खोला जावेगा जिसमे निविदकार या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकताहै। यदि निविदा फार्म के लिफाफा ए मे कोई कमी पाई जाती है तो उसको निरस्त कर दिया जावेगा एवं निविदा शुल्क रू.5,000/— वापस नहीं किया जावेगा।

(बी) **लिफाफा बी (तकनीकी बिड को खोलना)** — जो निविदाकार प्री क्वालीफिकेशन बिड को पूर्ण करते है उन्हीं फर्म/कम्पनी का लिफाफा बी दिनांक .... को दोपहर 12.00 बजे खोला जावेगा जिसमे निविदाकार या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

(सी) **लिफाफा सी (प्राइस बिड को खोलना)** — जिन निविदाकारों की प्री क्वालीफिकेशन बिड पूर्ण है एवं तकनीकी बिड भी पूर्ण है, मात्र उन्हीं निविदाकारों की प्राइस बिड दिनांक ....को दोपहर 12.00 चिकित्सा महाविद्यालय के कान्फ्रेस हाल मे खोली जावेगी जिसमे निविदाकार या उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

निविदा फार्म भरने का तरीका –

1. **पता** – निविदाकार अपना पूरा पता लिखें जिससे की उनके पते का सत्यापन सामान्य रूप से किया जा सके। अपूर्ण पता बिड के निरस्त होने का कारण बन सकता है।

2. **नामांकित प्रतिनिधि** – निविदाकार स्वयं या उसका मात्र एक नामांकित प्रतिनिधि ही निविदा खुलते समय उपस्थित रह सकता है। नामांकित प्रतिनिधि को कम्पनी/फर्म द्वारा जारी किया अधिकृत मूल पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा जिसमें फर्म/कम्पनी ने उसके हस्ताक्षर को सत्यापित किया हो।

3. **अधिकृत व्यक्ति** – जैसे ही फर्म/कम्पनी से उसको अधिकृत होने का पता चलता है तभी वह व्यक्ति इस आशय का पत्र सील सहित अधिष्ठाता कार्यालय को अवगत करायेगा कि उसके पास कम्पनी/फर्म का इस आशय का अधिकार है कि वह कम्पनी/फर्म की तरफ से निर्णय ले सकता है जो कि कम्पनी/फर्म को मान्य होगी।

4. किसी भी स्थिति मे क्रय किया गया निविदा फार्म का शुल्क वापस योग्य नही होगा एवं किसी भी प्रकार से एक बार जमा करने पर निविदा फार्म वापस नही किया जावेगा।

धरोहर राशि जमा करना –

1. धरोहर राशि स्वरूप सुरक्षा निधि की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जिसकी शाखा रीवा मे हो का रेखांकित बैंक ड्राफट ही मान्य होगा। जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, रीवा म0प्र0 के नाम देय हो, देना होगा।

2. यदि किसी एक निविदाकार की निविदा स्वीकृत होती है तो अन्य निविदाताओं को उनकी धरोहर राशि बिना ब्याज के तीन माह मे वापस कर दी जावेगी।

सुरक्षानिधि जमा करना –

जिस निविदाकार की निविदा मान्य होगी उस स्थिति मे निविदाकार को सुरक्षा निधि की राशि रू. 32.00 लाख (रू. बत्तीस लाख) मात्र का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा म0प्र0 के नाम से होगा। यह सुरक्षानिधि उस दिनांक तक रखी जावेगी जब तक के लिये निविदा की गई है। यदि किसी कारण वश निविदा बीच मे ही निविदाकार द्वारा समाप्त की जाती है तो उस स्थिति मे सुरक्षानिधि राजसात कर ली जावेगी। इस सुरक्षानिधि पर किसी भी तरह का ब्याज देय नही होगा।

उपलब्ध अधोसंरचना/जगह –

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के बेसमेन्ट मे कोबाल्ट टेलीथेरेपी मशीन, ट्रीटमेन्ट प्लानिंग सिस्टम एवं ब्रेकीथेरेपी मशीनें स्थापित है। ग्राउण्ड फलोर पर कैंसर ओ.पी.डी. एवं ब्रेकीथेरेपी आपरेशन कक्ष तथा टेबल है। ग्राउण्ड फलोर पर ही मरीजो के भर्ती के लिये रेडियोथेरेपी वार्ड भी है। उक्त उपलब्ध सुविधाओं का निविदाकार को पी.डब्ल्यू.डी. के मापदण्डों के अनुसार किराया देय होगा। बेसमेन्ट मे जहॉ पर मशीनें लगी एवं ओ.पी.डी. वार्ड तथा आपरेशन कक्ष का बिजली बिल निविदाकार को भरना होगा। यदि निविदाकार बिजली का बिल भरने के नियमों का पालन नही करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा एवं श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रबंधन की कोई जबाबदारी नहीं होगी।

2. निविदाकार को उपलब्ध कराई गई जगह की सफाई अपने स्तर से स्वयं करानी होगी। सफाई की जॉच का सत्यापन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा किया जावेगा जिसको निविदाकार को मान्य करना होगा।
3. उपलब्ध जगह पर निविदाकार छोटा–मोटा कार्य संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक की स्वीकृति से कराया जा सकता है।

4. सभी निविदाकार चाहे तो उपलब्ध जगह का अधिष्ठाता द्वारा अनुमति प्राप्त कर निरीक्षण किया जा सकता है।

5. सफल निविदाकार को आन्तरिक साज–सज्जा स्वयं करानी होगी तथा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर इसका कोई खर्च मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मॉग नही करेगा।

अन्य शर्ते –

1. रेडियेशन प्रोटेक्सन नियम अनुसार रेडियेशन मशीनों को आउट सोर्स करने के पहले ।ण्म्ण्त्ण्ठण की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि ।ण्म्ण्त्ण्ठण नया कोबाल्ट सोर्स लगाने तक वर्तमान कोबाल्ट सोर्स से उपचार की अनुमति प्रदान करता है तो तीन से छः माह मे उपचार शुरू करना होगा और नये कोबाल्ट सोर्स क्रय हेतु ।ण्म्ण्त्ण्ठण द्वारा निर्धारित समयावधि मे नया सोर्स लगाना होगा, परन्तु ।ण्म्ण्त्ण्ठण यदि नया कोबाल्ट सोर्स लगाये बिना उपचार की अनुमति नही देता है तब शीघ्रता शीघ्र या 12 से 24 माह मे नया कोबाल्ट सोर्स मिलते ही उपचार शुरू करना होगा। प्तपकपनउ. 192 सोर्स के निर्धारित अन्तराल मे बदलने हेतु टंतपंद डमकपबंस ैलेजमउ स्जकण् डनउइंप के माध्यम से कार्य करना होगा।

2. ट्रीटमेन्ट प्लानिंग सिस्टम ;जीमतंचसंद च्सने 2000द्ध में समय–समय पर आवश्यकतानुसार लेटेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लानिंग साफट–वेयर स्वयं के व्यय पर लगाना होगा।

3. सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय पर कंसलटेन्ट रेडियोथेरेपिस्ट जिसे कोबाल्ट मशीन एवं ब्रेकीथेरेपी मशीन से मरीजो का उपचार का अनुभव एवं दक्ष हो, साथ ही निविदाकार को अनुभव एवं योग्यता

धारक फिजिसिस्ट (रेडियेशन सेफटी ऑफिसर) एवं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन भी रखना होगा, साथ ही महिला मरीजों हेतु महिला कर्मचारी होना अनिवार्य होगा।

4. सफल निविदाकार द्वारा कार्य पर रखे गये कन्सलटेन्ट रेडियोथेरेपिस्ट एवं फिजिसिस्ट, संस्था के स्नातक एवं अन्य विभागों के स्नातकोत्तर छात्रों को समय–समय पर पढाने मे भी सक्षम होना चाहिये।

5. कन्सलटेन्ट रेडियोथेरेपिस्ट, फिजिसिस्ट एवं टेक्नीशियनों को मशीनों के संचालन मे दक्ष होना चाहिये।

6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय मे अध्ययनरत् स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों को मशीनों पर पठन–पाठन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी एवं निर्देशक के मार्गदर्शन मे अन्य विषय के स्नातकोत्तर छात्रों को शोधकार्य की अनुमति देनी होगी।

7. सफल निविदाकार को एम.सी.आई. के मापदण्ड अनुसार विभाग मे समान्तर सुविधा देनी होगी जिससे की एम.सी.आई. की कमी को दूर किया जा सके।

8. सफल निविदाकार को चिकित्सालय के किसी अन्य विभाग से भेजे गये मरीजों का निविदा मे दी गई शर्तो के अनुसार उपचार करना होगा।

9. यदि कोई निविदाकार अपने निविदा को स्वीकृत कराने मे लिप्त पाया गया या किसी से सम्पर्क करते पाया गया तो उसकी निविदा अवैध मानी जावेगी एवं उसके द्वारा जमा कराया गया निविदा कार्य शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

10. अधोहस्ताक्षर कर्त्ता को बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को अमान्य करने का अधिकार होगा।

11. यदि एक बार निविदा को मंजूरी दी जाती है एवं अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये जाते है तो यह निविदा अवधि तक दोनों ही पक्षों को मान्य होगा।

12. यदि श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा निविदा फार्म को मंजूरी का पत्र जारी कर दिया जाता है तो एक माह के अन्दर निविदाकार को नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प (निर्धारित राशि का) पर अनुबन्ध लिखकर दोनो ही पक्षों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।

13. सफल निविदाकार को B.A.R.C. / A.E.R.B. द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं अनुसंशाओं का पालन करना होगा एवं रेडियेशन प्रोटेक्सन एक्ट के अनुसार B.A.R.C. / A.E.R.B. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही मशीनों का संचालन करना होगा।

14. विभाग मे किसी भी प्रकार के रेडियेशन एक्सीडेन्ट होने पर रेडियेशन सेफटी ऑफिसर को तत्काल उसका निराकरण करना होगा। ऐसा न होने पर सम्पूर्ण जबाबदारी निविदाकार एवं आर.एस.ओ. की होगी।

15. नया कोबाल्ट एवं इरिडियम सोर्सेस लगाना एवं पुराने सोर्सेस को ।ण्म्त्ण्ठण के नियमानुसार डिस्पोज करना निविदाकार को स्वयं के व्यय पर करना होगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की ही होगी।

16. रेडियेशन प्लानिंग हेतु चेक एक्स–रे लेने के लिये निविदाकार उपलब्ध जगह मे रेडियेशन प्रोटेक्शन नियमों का पालन करते हुये स्वयं के व्यय पर 300 एम.ए. की एक्स–रे मशीन लगा सकता है। शासन द्वारा निर्धारित गरीब मरीजों से एक्स–रे करने का कोई शुल्क नही लिया जावेगा, परन्तु अन्य मरीजों से रूपये 200/– प्रति फिल्म लिया जा सकेगा। यदि निविदाकार अपनी एक्स–रे मशीन नही लगाता है तो रेडियोलाजी विभाग मे चेक एक्स–रे हेतु मरीजों को भेज सकेगा, जहॉ पर शासकीय नियमानुसार सशुल्क/निःशुल्क का निर्धारण किया जावेगा।

17. ब्लड ट्रान्सफयूजन संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय की ब्लड बैंक से ही किया जा सकेगा। जिसके लगाने का गरीब मरीजों से कोई शुल्क नही लिया जावेगा एवं अन्य मरीजों से रूपये 250/– प्रति यूनिट लिया जा सकेगा।

18. ब्लड, यूरीन एवं अन्य जॉचों के लिये मरीजों को पैथालाजी एवं माइक्रोबायलाजी विभाग मे रेफर किया जा सकेगा और वहीं पर शासकीय नियमानुसार सशुल्क/निःशुल्क का निर्धारण किया जावेगा।

19. सर्जिकल प्रोसिजर एवं बॉयोपप्सी हेतु मरीजों को संबंधित विभाग मे रेफर किया जावेगा और वहीं पर शासकीय नियमानुसार सशुल्क/निःशुल्क का निर्धारण किया जावेगा।

20. निविदाकार पर सभी उपकरण एवं मशीनों का सुरक्षित रख–रखाव एवं सेफटी का पूरा उत्तरदायित्व होगा तथा रख–रखाव की कमियों के कारण हुये नुकसान का निविदाकार ही जिम्मेदार होगा।

21. निविदाकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की स्वीकृति बैगर कोई अन्य मशीन संस्था के कैम्पस या आवंटित जगह पर नही लगा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि किसी भी समय आवंटित परिसर का निरीक्षण कर सकेगें एवं अव्यवास्था पाये जाने पर निराकरण हेतु आदेश का अधिकार होगा।

22. निविदाकार का यह कर्त्तव्य होगा की मरीजो अथवा मरीजों के सगे–सबंधियों के साथ हुये किसी मतभेद/वाद–विवाद हेतु पुलिस/न्यायालय जाने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा या उनके प्रतिनिधि को सूचित करना जरूरी होगा एवं प्रदेश शासन के नियमों का पालन करना होगा।

23. सफल निविदाकार को अपने स्टाफ की नियुक्ति एवं उनके बदलाव/परिवर्तन का अधिकार होगा। निविदाकार को कार्य पर लगे स्टाफ की सूची एवं परिवर्तन करने की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय विद्यालय, रीवा एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच. रीवा को लिखित रूप से देनी होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्टाफ पर नियत्रंण एवं निर्धारण का अधिकार नही होगा। निविदाकार पर नियमों के अन्तर्गत वेतन, ई.पी.एफ. एवं वेतन से काटे जाने वाले वैधानिक अंशदान तथा अन्य वैधानिक करो को जमा करने का दायित्व होगा।

24. सफल निविदाकार को सभी मशीनों को पूरे समय अच्छी हालत मे रखना आवश्यक है एवं 95 प्रतिशत अप–टाइम देना आवश्यक होगा। मशीनों मे आई खराबी को 72 घण्टे मे संबंधित कम्पनी के इन्जिनियरों से मरम्मत करवाना आवश्यक होगा। निर्धारित 72 घण्टे मे मशीन रिपेयर न होने पर निविदाकार को बतौर जुर्माना रूपये 5000/– प्रति दिन के हिसाब से मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को देय होगा।

25. यदि कोई मशीन एक माह से ज्यादा समय खराब रहती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को अधिकार होगा की वो करार को समाप्त कर भवन/इमारत खाली करा लेवें एवं सुरक्षानिधि की राशि राजसात कर ली जावेगी।

26. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निविदाकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का पालन न करने अथवा उल्लघंन करने पर करार समाप्त करने का अधिकार होगा।

27. निविदाकार चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय मे कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों/नर्सिग स्टाफ एवं उन पर आश्रित परिवार जनों का उपचार बी.पी.एल. मरीजों के समान निशुल्क करेगें एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक की अनुशंसा पर रेफर किये गये मरीजों का भी निःशुल्क उपचार करना होगा। अन्य शासकीय सेवकों से इस निविदा मे निर्धारित दर के अनुसार उपचार किया जा सकेगा।

28. प्राइस बिड मे न्यूनतम राशि वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी, साथ ही टेक्नीकल बिड मे दिये गये सभी बिन्दुओं पर दिये गये उत्तर/जबाब भी निविदाकार को प्राथमिकता देने मे सहायक होगें।

29. उपचार की दरें एक बार निर्धारित होने के बाद तीन वर्षो के लिये मान्य होगी और निविदाकार को इन दरों मे परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा। उपचार दरों का पुर्ननिर्धारण आवश्यकता पडने पर सभी तथ्यों को ध्यान मे रखते हुये किया जावेगा, किन्तु किसी भी दशा मे 15–20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

30. उपयोगकर्त्ता द्वारा समय–समय पर प्रदेश शासन एवं संस्था द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिये निविदाकार बाध्य होगा।

31. करार मे वर्णित किसी भी शर्त का उल्लघंन किये जाने पर निविदाकार का ठेका समाप्त किया जा सकेगा और इस दशा मे उपयोगकर्त्ता को यह अधिकार होगा की निविदाकार की जमा सुरक्षा निधि को दण्ड स्वरूप राजसात कर लें।

32. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति अपनी आवश्यकतानुसार करार पत्र मे कोई अतिरिक्त कंडिका का समावेश कर सकेगी।

33. मरीज को दिये गये डिस्चार्ज टिकट मे उपचार का सम्पूर्ण विवरण – बायोप्सी रिर्पोट, रेडियेशनडोज, क्रिमोथेरेपी, इत्यादि की जानकारी दी जाना जरूरी है एवं सभी मरीजों के उपचार के रिकार्ड का संधारण करना भी जरूरी है एवं प्रतिमाह अधीक्षक कार्यालय को इसकी सूचना देना होगा।

34. निविदा फार्म मे वर्णित सभी मशीनें, उपकरण, एक्सेसरीज, इत्यादि की सूची बनाकर निविदाकार को हस्तान्तरित की जावेगी एवं करार अवधि की समाप्ति पर उसी सूची अनुसार सभी मशीनें, उपकरण, एक्सेसरीज श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय को ठीक हालत मे वापस करना होगा।

35. प्रारंभिक तौर पर निविदा तीन वर्ष के लिये होगी एवं तीन वर्ष की अवधि का विस्तार भी किया जा सकता है। जो निविदाकार की कार्यकुशलता पर, दोनों पक्षों के आपसी करार पर आधारित होगा। निविदाकार को करार के तीन वर्ष पहले सेवाओं को समाप्त एवं अनिरन्तरता का अधिकार नहीं होगा। जब कभी एम.सी.आई. द्वारा मरीजों के हित मे विशेषताओं मे परिवर्तन किया जाता है तो निविदाकार को उसमे सुधार (उन्नयन) करना होगा।

36. निविदा मे पूछे गये सवालों का जबाब सीधा होना चाहिये। किसी प्रकार का संशय करने वाला या द्विअर्थी जबाब न दिया जावें।

37. आउट सोर्स की जाने वाली प्रमुख दोनों मशीनों की जानकारी –

(A) Cobalt Teletherapy Machine -

-- Theratron 780 - E from Canada. Machine Serial No. 659. Machine supplied & Installed by Kirloskar Theratronic Ltd. Mumbai.
-- Machine Installed on dt.- 26.08.2000.
-- Co 60 Source Installed on dt.- 14.12.2003.
-- Co 60 Source activity 195.36 RMM on dt. - 17.12.2003.
-- Co 60 Source Serial No. 5464.
-- Treatment Planning system (Theraplan- Plus 2000)

(B) Brachytherapy Machine -

-- Gamma Mad plus HDR Brachytherapy .
-- Local dealer - Varian Medical System Pvt. Ltd., Vile - Parle (E) 602, Pressman House, Plot No. 70/A, Nehru road, Mumbai - 400099.
-- Machine Serial No. A 037.
-- Machine Installed on dt.- 3.08.2000.
-- Ir 192 Installed on dt.- 29.11.2003.
-- Activity on dt.- 29.11.2003-3.54 Ci.
-- Source Purchased from Fed. Republic of Germeny.

क्षेत्राधिकार – सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय,
स्वशासी समिति, रीवा म0प्र0